महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या-6/2017/889/86-2017-74(सा0)/2017

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 मई, 2017

विषयः-उपखनिजों के वैध परिवहन हेतु मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी किए जाने वाले आवश्यक विधिमान्य पास/प्रपत्रों विषयक जानकारी उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, इटावा द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.04.2017 (प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद इटावा में उपखनिजों के वैध परिवहन हेतु मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी किए जाने वाले आवश्यक विधिमान्य पास/प्रपत्रों की जानकारी के अभाव में मध्य प्रदेश राज्य से उ0प्र0 राज्य में परिवहन कर लाये जाने वाले उपखनिजों के सत्यापन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के संबंध में कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) के पत्र दिनांक 25.04.2017 द्वारा विधिमान्य पास/प्रपत्रों का नमूना (छायाप्रति संलग्न) उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार लीज धारक ई.टी.पी. प्रक्रिया (-), जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दिया गया है, प्राप्त कर संलग्न प्रपत्र प्रारूप-नौ एवं प्रारूप-2 में खनिजों का परिवहन खदान स्थल से किया जाता है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये विधिमान्य पास/प्रपत्रों के सत्यापन के आधार पर उपखनिजों के वैध परिवहन को सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय
(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-889(1)/86-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त प्रभारी खान अधिकारियों/खान निरीक्षको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

आज्ञा से,
(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra/